61/128 43,47,49,50

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

INDIA NON JUDICIAL

Rs.20000 Rs.20000

3 DEC 2014

A.TO/T.O.
TRY.LKO

0300 306328

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु० 3,87,312/-
बाजारू मूल्य	: रु० 3,87,300/-
स्टाम्प शुल्क	: रु० 30,800/-
परगना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख जागेश्वर पुत्र सुन्दर, निवासी– ग्राम–यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया,

[illegible]

4-12-04

2017

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উপ নিবন্ধক (প্রথম) [illegible]

[illegible]

[illegible] 4-12-04 [illegible]

[illegible]

উপ নিবন্ধক (প্রথম)

[illegible] 6-12-04

[illegible]

[illegible]

भारत गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

03CC 306529

A.T.O.T.O.
TRY.LKO

है, एवम् मथान पुत्र श्री भैकू, वर्तमान निवासी-254, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ एवं स्थाई निवासी-ग्राम -मिर्जापुर मिदारी, पोस्ट-नौगीर, जिला- फतेहपुर जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 264, रकबा 0.076 हेक्टेअर, खसरा संख्या 293, रकबा 0.202 हेक्टेअर, खसरा संख्या 295, रकबा 0.051 हेक्टेअर, व खसरा संख्या 296,

[illegible] कार्यालय, [illegible]

[illegible] 5-12-09

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (हस्ताक्षर)

5-12-09

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5-12-09

03CC 306530

1 DEC 2004
TRY.LKO

रकबा 0.101 हेक्टेअर कुल चार किता व कुल रकबा 0.430 स्थित ग्राम [redacted], परगना, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 155 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। षटवार्षिक खतौनी फसली वर्ष 1408 से 1413 के अनुसार असंक्रमणीय दर्ज है किन्तु भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष 1383 फसली है, अर्थात विक्रेता का पट्टा 10 वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

03CC 306531

शासनादेश अनुसार विक्रेता को संक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो गया है। विक्रेता अपने कुल भूमि में से रकबा 0.430 हेक्टेअर क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या

500Rs

INDIA NON JUDICIAL

५00 रु. Rs500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या बाधा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 8,07,312/- (आठ लाख सात हजार तीन सौ बारह रूपया मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि

100Rs.

के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बकाई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया

100Rs.

१०० रु R$ 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या

100Rs

१०० रु. Rs 100

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

कब्जे से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता की घोषणा के अनुसार इस विक्रय पत्र के उपरान्त खाता आराजी नं0 में विक्रेता के नाम कोई भूमि शेष नहीं

सकी है अगर विक्रेता या उसके वारिसान या कोई उत्तराधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी तरह का दावा उक्त खसरा नं0 पर करते हैं तो वह अवैध होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख से पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम युसुफनगर उर्फ़ बनियाभजा, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 9,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.430 हेक्टेअर की मालियत रू0 3,87,000/- होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की तत्काल मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 80,800/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी

लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण।

भूमि खसरा संख्या 264, रकबा 0.076 हेक्टेअर, खसरा संख्या 293, रकबा 0.202 हेक्टेअर, खसरा संख्या 295, रकबा 0.051 हेक्टेअर व खसरा संख्या 296, रकबा 0.101 हेक्टेअर कुल चार किता व कुल रकबा 0.430 स्थित ग्राम [illegible], परगना, तहसील व जिला लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 264, रकबा 0.076 हेक्टेअर

पूरब	: खसरा संख्या- 262
पश्चिम	: खसरा संख्या- 260
उत्तर	: खसरा संख्या- 263
दक्षिण	: खसरा संख्या- 268

<u>खसरा नं0 293, रकबा 0.202 हेक्टेअर</u>

पूरब	:	खसरा संख्या– 294
पश्चिम	:	खसरा संख्या– 260
उत्तर	:	खसरा संख्या– 260
दक्षिण	:	खसरा संख्या– 292

<u>खसरा नं0 295, रकबा 0.051 हेक्टेअर</u>

पूरब	:	खसरा संख्या– 297
पश्चिम	:	खसरा संख्या– 292
उत्तर	:	खसरा संख्या– 260
दक्षिण	:	खसरा संख्या– 292

<u>खसरा नं0 296, रकबा 0.101 हेक्टेअर</u>

पूरब	:	खसरा संख्या– 297
पश्चिम	:	खसरा संख्या– 295
उत्तर	:	खसरा संख्या– 260
दक्षिण	:	खसरा संख्या– 297

<u>परिशिष्ट : भुगतान विवरण</u>

कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रू0 8,07,312/– (आठ लाख सात हजार तीन सौ बारह रूपया मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लखनऊ
दिनांक: 04.12.2004

गवाह

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

टाइपकर्ता

(राम सनेही)

मसविदाकर्ता

(उमाशंकर पाण्डेय)

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता –

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता –

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

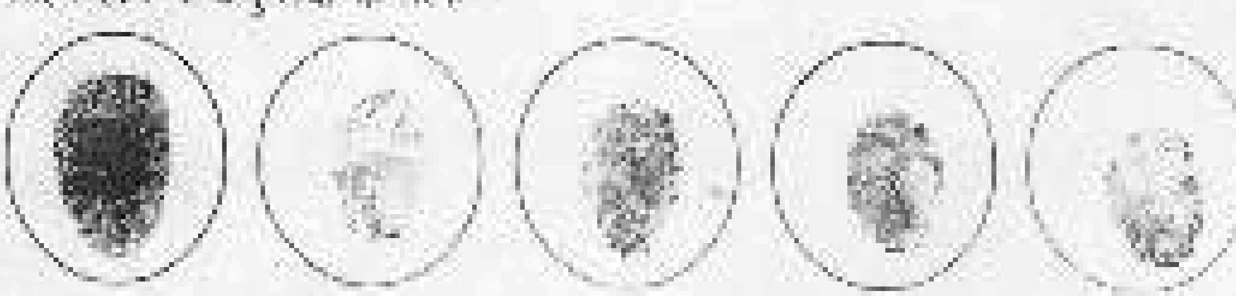

नक्शा नजरी

ग्राम :- [illegible] (बाराबंकी)

खाता नं :- २६९

जिला :- बाराबंकी

तहसील :- नवाबगंज

प्रस्तावित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की स्थिति

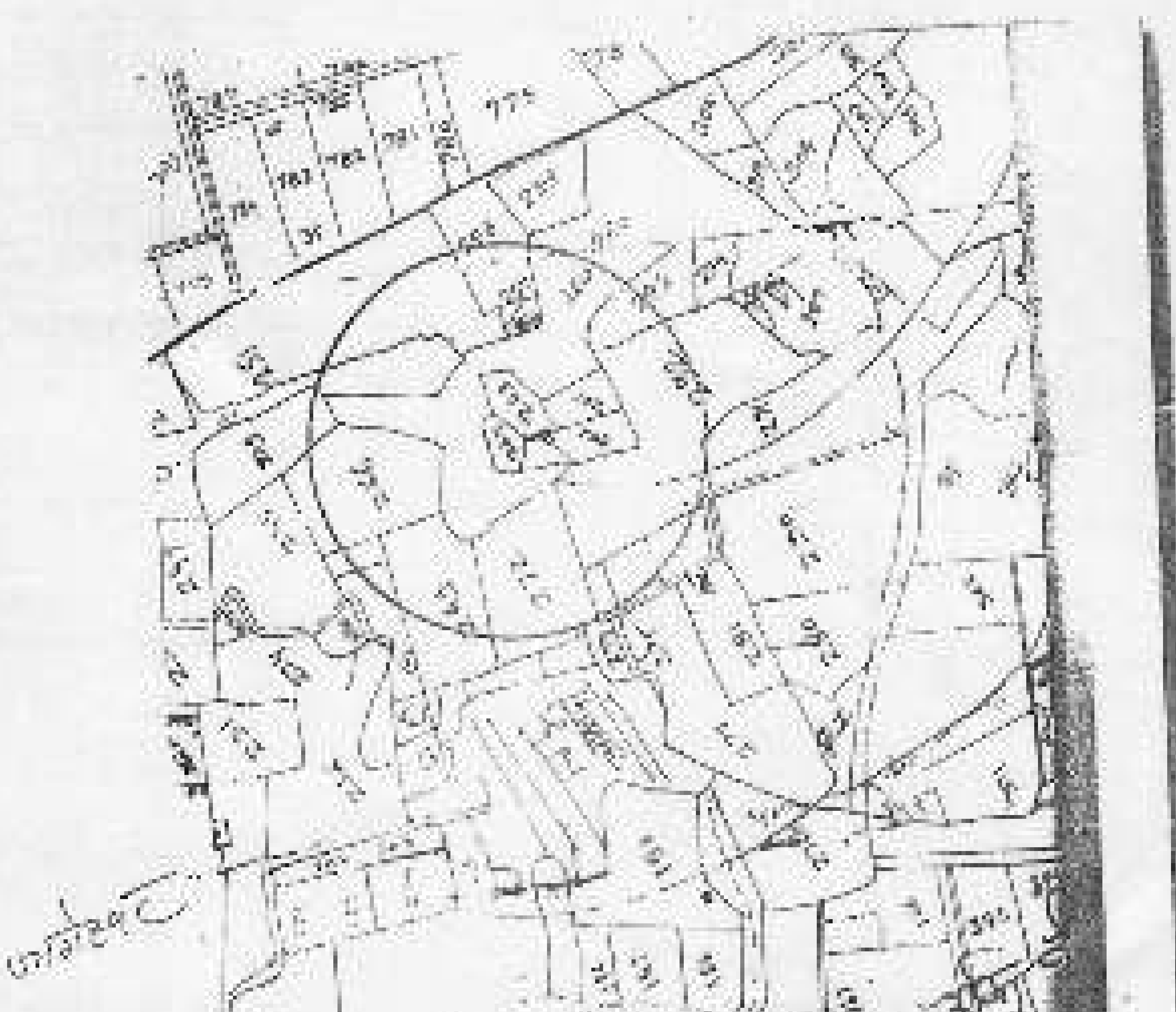

নকশা নং

গ্রাম :- [illegible] ([illegible])

দাগ নং :- ২৭১, ২৭১ ও ২৭৮

থানা :- [illegible]

জেলা :- [illegible]

[illegible]

[illegible]

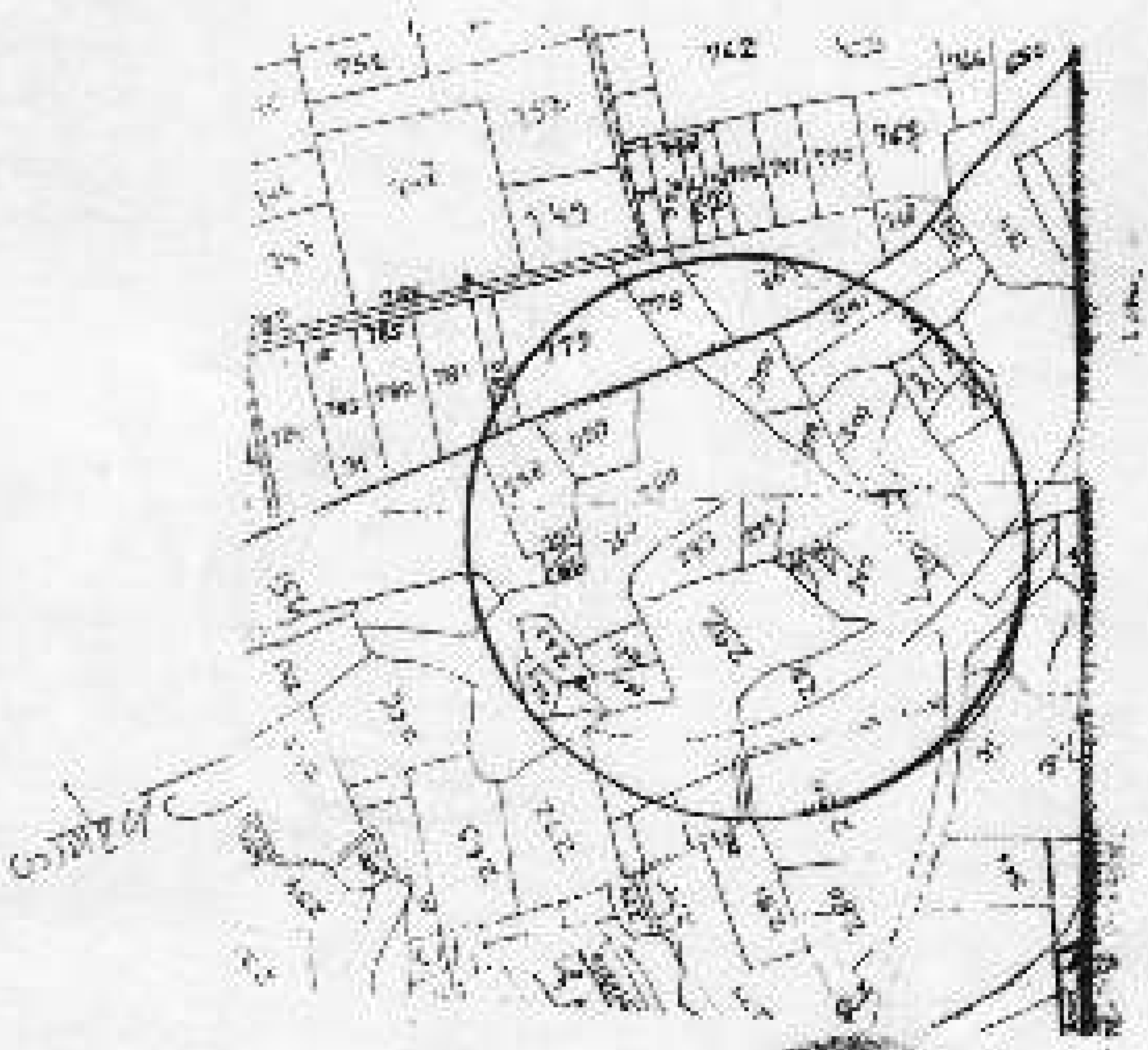

[illegible]

कार्यालय उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ